

प्रेषक,

डा0 महेन्द्र देव
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली-110301

माध्यमिक शिक्षा(NOC)अनुभाग 4842-50

मेरठ दिनांक : 04-09-2014

विषय :- दि-डिवाईन मदर इण्टरनेशनल स्कूल, ग्राम नीमका, खुर्जा-जेवर रोड़, नोएडा
(गौतमबुद्धनगर) को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007 दिनांक 14-07-2009
द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 30-08-2014 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त
सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के
कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये
जायेंगे।
- (3) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये जाने वाले
कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए
सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा
संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया
जायेगा।
- (5) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य
शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
- (6) विद्यालय द्वारा छात्रों से कॉशनमनी (सिक्वोरिटी), भवन शुल्क (मेन्टीनेन्स), प्रवेश शुल्क, डोनेशन,
मेनेजमेन्ट शुल्क, विकास शुल्क मदों में शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (7) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई
परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये
जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (10) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य
होगा।
- (11) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय
माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री
एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से

Neemka Kumar Aithy

CHAIRMAN NOC/1-PROFRAMA/31
The Divine Mother International School
(Affiliated To CBSE, DELHI)
Affiliation No-2131873
Neemka Shahjahanpur, Khurja Jewar Road, G.B. Nagar (UP),

A
PRINCIPAL

The Divine Mother International School
(Affiliated to C.B.S.E. board Delhi-110301)
Affiliation No-2131873
Neemka Shahjahanpur, Khurja Jewar Road,
G.B. Nagar (U.P.)

- प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (12) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।
- (13) संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
- (14) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डा0(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या-4842-50 /मंस0 (146)/2014 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सेवा में माननीय न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-20596/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा दिये आदेश दिनांक 09-04-2014 के अनुपालन में प्रेषित।
- (2) आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- (3) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- (4) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (5) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिला-गौतमबुद्धनगर।
- (7) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- (8) प्रबन्धक, दि-डिवाईन मदर इण्टरनेशनल स्कूल, ग्राम नीमका, खुर्जा-जेवर रोड़, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

Neema Kumar Singh

CHAIRMAN
The Divine Mother International School
(Affiliated To CBSE, DELHI)
Affiliation No-2131873
Neemka Shahjapur, Khurja Jewar Road, G.B. Nagar (UP)

डा0(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

PRINCIPAL

The Divine Mother International School
(Affiliated to C.B.S.E. board Delhi-110301)
Affiliation No-2131873
Neemka Shahjapur, Khurja Jewar Road,
G.B. Nagar (U.P.)